तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 99/2022 दीपाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने एवं प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली आज ही तलब करने प्रस्तुत किया। वकील अपीलार्थी श्री के.आर.शर्मा, एड. ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 27.01.2022 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया है। इस कारण से अपील आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। ऐसी दशा में उक्त अपील अपीलार्थी विड्रा करना चाहता है। उपरोक्त उनवानी अपील को अपीलार्थी नहीं चलाना चाहता हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील विड्रो करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि उक्त उनवानी प्रकरण में चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 27.01.2022 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया है एवं अपीलार्थी स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (डॉ. गिरीश पाराशर) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner